न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 181/2023 – निगरानी

1. लाली पुत्री पन्नानाथ पत्नी सुरजानाथ बाबजी निवासी लवा तहसील सिंगोली जिला नीमच राज्य म०प्र०
2. पुष्पा पुत्री पन्नानाथ पत्नी नन्दलाल नाथ बाबजी निवासी निमोदा तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ
3. लाड देवी पुत्री पन्नाथाथ पत्नी भंवर नाथ बाबजी निवासी देबीपुरा (गिरडिया) तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. धापु बेवा पन्नानाथ बाबजी निवासी होडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. राजुनाथ पिता लादुनाथ बाबजी निवासी फलासिया हाल मुकाम होडा–होटल टोल प्लाजा के पास, होडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत होडा पंचायत समिति माण्डलगढ जरिए सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत होडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत होडा पं०स० माण्डलगढ द्वारा पत्रावली क्र० 31 से जारी पट्टा क्र० 4239/13.04.2017 के निरस्तीकरण बाबत्

उपस्थित –

1. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.10.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार 2 ने गैर निगराकार 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के नियम 157(2) के क्रम पट्टा जारी करने में वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। ग्राम होड़ा में पन्नानाथ पिता भवानीनाथ बाबजी की जायदाद पैतृक मकान है जिसका पट्टा संख्या 4239 जारी किया गया। पन्नानाथ के निधन के बाद से वादग्रस्त आवासीय मकान निगराकारान के अधिकार, स्वामित्व में निहित है। स्व. पन्नानाथ के निगराकार सं 1 से 3 पुत्रियां व निगराकार सं 4 पत्नी है। इनके अलावा एक पुत्री सुशीला पत्नी राजूनाथ है,

16.10.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पन्नानाथ का कोई पुरूष संतान नहीं है। गैर निगराकार 1 पन्नानाथ की पुत्री सुशीला का पति है तथा मूलतः ग्राम पलासिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा का निवासी है। वादग्रस्त मकान से गैर निगराकार–1 को कोई संबंध व वारिसाना हक भी नहीं है। पूर्व में गैर निगराकार 1 ने इसी वादग्रस्त मकान का पटटा सं 51/14.01.2007 को पत्रावली सं 01/2006 से अपने नाम पर गैर निगराकार सं 2 से जारी करवाया था, जिसकी निगरानी निगराकार सं 1 से 3 ने इसी न्यायालय के समक्ष पेश की जो प्रकरण संख्या 11/2021 से दर्ज होकर दिनांक 21.02.2023 को निर्णित हुई है, जिसमें गैर निगराकार 1 के पक्ष में जारी किया गया इसी वादग्रस्त जायदाद के पट्टे को खारिज किया गया है। गैर निगराकार ने मिलीभगत कर वादग्रस्त जायदाद का पुनः पट्टा दिनांक 13.04.2017 को जारी करवाया लिया जो गंभीर अनियमित्ता, तथ्यों की अनदेखी कर निगराकार के हितों को हानि पहुंचाने के दुराशय से यह कृत्य किया है जो अनियमित, आपराधिक होकर निरस्तनीय है। गैर निगराकार ने सभी नियमों की अनदेखी करते हुए दिनांक 10.04.2017 को आवेदन पत्र लेकर पत्रावली उसी दिन कायम करते हुए दिनांक 13.04.2017 को ही कमेटी का गठन कर उसी दिन रिपोर्ट प्राप्त करते हुए बिना समुचित समयावधि की आपत्तियां आमत्रंण करने की प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 13.04.2017 को मात्र 3 दिन की कार्यवाही में ही आलौच्य पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। पूर्व प्रकरण 11/2021 निगरानी निर्णित दिनांक 21.02.2023 तक विचाराधीन थी। इस प्रकार इस प्रकरण में पुश्तैनी मकान का पट्टा 14.01.2007 को पट्टा सं 51 से जारी हुआ था जो 21.02.2023 तक प्रभावी था। इस प्रकार इस वादग्रस्त पुश्तैनी मकान का पट्टा 14.01.2007 से 21.02.2023 तक पट्टा सं 51 जारी रहते हुए इसी मकान का पुनः पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार एक जायदाद के दिनांक 13.04.2017 तक दो पट्टे ग्राम पंचायत ने भिन्न भिन्न तारीखों में जारी कर गैर निगराकार सं 1 से मिलीभगती कर उसे लाभान्वित करने के उद्देश्य से निगराकार की पुश्तैनी जायदाद को हडपने का षडयंत्र रचा है जिससे उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार 1 ने अपने आवेदन व शपथ पत्र दिनांक 10.04.2017 में यह तथ्य अंकित किया कि "इस मकान पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है एवं पहले पट्टा भी नहीं बना हुआ है"। यह झूठे तथ्य जानबूझकर पेश किए गए। इसी प्रकार गैर निगराकार 2 ने भी अपने निर्णय में उक्त सभी तथ्यों की अनदेखी की है।

16.10.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2023 की प्रति निगराकारान द्वारा ग्राम पं० के समक्ष दिनांक 20.09.2023 को प्रस्तुत करने पर सर्वप्रथम आलौच्य निर्णय व जारी पट्टा विलेख की जानकारी हुई, जिससे यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है। निवेदन है कि निगराकारान की निगरानी स्वीकार फरमा कर गैर निगराकार सं 2 द्वारा गैर निगराकार 1 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा विलेख कमांक 4239/13.04.2017 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि है। गैर निगराकार ने सभी नियमों की अनदेखी करते हुए दिनांक 10.04.2017 को आवेदन पत्र लेकर पत्रावली उसी दिन कायम करते हुए दिनांक 13.04.2017 को ही कमेटी का गठन कर उसी दिन रिपोर्ट प्राप्त करते हुए बिना समुचित समयावधि की आपत्तियां आमत्रंण करने की प्रकिया अपनाते हुए दिनांक 13.04.2017 को मात्र 3 दिन की कार्यवाही में ही आलौच्य पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। पूर्व प्रकरण 11/2021 निगरानी निर्णित दिनांक 21.02.2023 तक विचाराधीन थी। इस प्रकार इस प्रकरण में पुश्तैनी मकान का पट्टा 14.01.2007 को पट्टा सं 51 से जारी हुआ था जो 21.02.2023 तक प्रभावी था। इस प्रकार इस वादग्रस्त पुश्तैनी मकान का पट्टा 14.01.2007 से 21.02.2023 तक पट्टा सं 51 जारी रहते हुए इसी मकान का पुनः पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार एक जायदाद के दिनांक 13.04.2017 तक दो पट्टे ग्राम पंचायत ने भिन्न भिन्न तारीखों में जारी कर गैर निगराकार सं 1 से मिलीभगती कर उसे लाभान्वित करने के उद्देश्य से निगराकार की पुश्तैनी जायदाद को हडपने का षडयंत्र रचा है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार 1 ने अपने आवेदन व शपथ पत्र दिनांक 10.04.2017 में यह तथ्य अंकित किया कि "इस मकान पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है एवं पहले पट्टा भी नहीं बना हुआ है"। यह झूठे तथ्य जानबूझकर पेश किए गए। इसी प्रकार गैर निगराकार 2 ने भी अपने निर्णय में उक्त सभी तथ्यों की अनदेखी की है। निवेदन है कि निगराकारान की निगरानी स्वीकार फरमा कर गैर निगराकार सं 2 द्वारा गैर

16.10.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार 1 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा विलेख कमांक 4239/13.04.2017 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जाए।

विपक्षी संख्या 01 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि वर्णित जायदाद को पंचायत द्वारा विधिक औपचारिकताए पूरी करते हुए 13.04.2017 को पट्टा जारी किया गया है एवं ग्राम पंचायत होडा ने किसी प्रकार की अवैधानिकता व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। निगराकार संख्या 1 से 3 का कोई कब्जा व दखल वादग्रस्त जायदाद पर नहीं है। तो फिर उनके द्वारा पट्टे बाबत आपत्ती करना सर्वथा गलत होकर बेबुनियाद है। निगराकार संख्या 1 से 3 ने एक हक त्याग पत्र कम शपथपत्र दिनांक 16.12.2010 को निष्पादित करते हुए अपने समस्त हक व अधिकार अपने माता पिता की सम्पदाओं में से समाप्त करते हुए, अपनी ही बहिन सुशीला एवं माता धापू के हक में परित्याग कर दिए और कब्जा भी सुशीला आदि का होना स्वीकार किया है अर्थात किसी प्रकार का कब्जा उक्त जायदाद पर नहीं होना माना है। जहां तक विपक्षी संख्या 4 धापू बेवा पन्ना नाथ का प्रश्न है तो उन्होने ही अपनी स्वतंत्र सहमति एवं स्वीकृति से वादग्रस्त जायदाद उत्तरदाता विपक्षी संख्या 1 एवं उसकी पत्नी को साधिकार सिपूर्द किया है, क्योंकि निर्वाद रूप से पन्ना नाथ एवं धापू के कोई नर संतान नहीं थी, जिससे उनकी सेवा चाकरी, भरण पोषण करने हेतु अपनी ही पुत्री सुशीला एवं उसके पति राजुनाथ को अपने पास काफी वर्षों पूर्व बुला लिया तथा राजु नाथ एवं सुशीला को अपना दत्तक पुत्र एवं जवाई बना दिया। साथ ही श्रीमती धापू द्वारा वसीयतनामा उत्तरदाता विपक्षी संख्या 1 की पत्नी के हक में अपनी समस्त जायदादों के संदर्भ में दिनांक 17.06.2003 को निष्पादित कर दिनांक 19.06.2003 को पंजीकृत करा दिया। जिसमें उसमें स्पष्ट अंकित किया कि तीनों लड़किया अर्थात निगराकार संख्या 1 से 3 अपने–अपने ससुराल में कार्य अधिक होने से मेरी सेवा चाकरी करने में असमर्थ है तथा मेरी सेवा चाकरी सुशीला ही कर रही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। इस प्रकार राजुनाथ एवं उसकी पत्नी द्वारा की गई सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर निगराकारान की विधिवत् सहमति से पट्टा साधिकार जारी किया गया है। पूर्व में चले प्रकरण संख्या 1/2006 का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण में जो पट्टा पूर्व में जारी किया गया था, वह भी पूर्णतयाः न्यायोचित एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही था व है परन्तु तत्कालीन पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर जो शर्ते

16.10.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तथाकथित पट्टे पर अंकित कर दी थी, जिस कारण ही उक्त पट्टा निरस्त कर दिया गया, अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर जो पट्टा शर्तों सहित पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिये जाने का आभास ज्योही गैर निगराकार संख्या 01 को हुआ त्योही उसने पुनः विधिवत् पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विधिवत् कार्यवाही कर उक्त पट्टा दिनांक 13.04.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा सारी ही औपचारिकताये पूर्ण करते हुऐ सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक परिपेक्ष्य को भारतीय संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार निवर्हन करते हुऐ पट्टा जारी किया गया है, जिसे किसी कदर निरस्त कराने के निगराकार अधिकारी नहीं है, उक्त पट्टा जारी करने में कोई किसी प्रकार की गंभीर अनियमितता एवं तथ्यो की अनदेखी नहीं की गयी है, ऐसी हालत में निगराकार किसी कदर उक्त पट्टे को अपास्त कराने के अधिकारी नहीं है। उक्त पट्टा दिनांक 13.04.2017 को विधिवत् जारी किया गया है, जिसकी समुचित जानकारी निगराकार को पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से ही रही है, किन्तु उनके द्वारा कोई किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत के यहां बावजूद जानकारी के आज दिन तक नहीं की गयी है, जो अव्वल तो उक्त कार्यवाही बाबत् निगराकार की स्वतंत्र स्वीकारोक्ति है, दोयम अब 07 वर्षों उपरान्त निगराकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करना जाहिरा तौर बैरून मियाद होकर मियाद के बिन्दु पर ही प्रथम दृष्टया पोषणीय न होकर काबिल खारिज के है। जहां तक पूर्व में जारी पट्टे के खारिज न होने से पूर्व ही उक्त पट्टा जारी करने का प्रश्न है तो इस बाबत् निवेदन है कि ग्राम पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर पूर्व में जारी पट्टे पर तथाकथित शर्ते अंकित करने की ज्योही जानकारी हुई त्योही अपनी गलती को दुरस्त करते हुऐ पुनः यह पट्टा विधि की सारी ही औपचारिकताये पूर्ण करते हुऐ जारी किया गया है, जिसमें कोई किसी प्रकार की मिलाभगती उत्तरदाता विपक्षी एवं विपक्षी संख्या 02 के मध्य नहीं रही है, अगर कोई गलती सद्भाविक रूप से विधि के परिपेक्ष्य में तथ्यात्मक रूप से हो भी गयी हो तो उसे दुरस्त कर नया पट्टा जारी करने में कोई किसी प्रकार की वैधानिक रोक नहीं है, ऐसी हालत में जो पट्टा पुश्तैनी जायदाद के संदर्भ में विपक्षी संख्या 01 को दामाद होकर गोदपुत्र होने के आधार पर जारी किया गया है अर्थात् विपक्षी संख्या 01 के विधिवत् पन्ना नाथ धापू का गोदपुत्र होने से वह उनका प्रथम श्रेणी वारिसान विधि के तहत होता है,

16.10.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

साथ ही इस बाबत् स्वयं निगराकारान की सहमति एवं स्वीकृति हमेशा रही है और उसी के तहत उक्त पट्टा पुश्तैनी मकानो के संदर्भ में बने नियमो एवं उप–नियमो की अक्षरत् पालना करते हुऐ उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 के हक में विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कोई किसी प्रकार की अवैधानिकता, अनियमितता कारित नहीं की गयी है। यह निगरानी विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गयी है, इस कारण बैरून मियाद होने से प्रथम दृष्टया ही यह निगरानी मियाद के बिन्दु पर ही काबिल खारिज के है, निगराकार ने इस संबंध में कोई समुचित एवं सद्भाविक कारण अपनी निगरानी में नहीं दर्शाये है और न उक्त गुजरे समय को क्षम्य करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सद्भाविक कारण होना ही दर्शाया है। विधिवत् पट्टा जारी किया गया है, जिसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है किसी भी दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को होता है और निर्विवाद रूप से निगराकार ने अपनी निगरानी में उक्त पट्टे को निरस्त करने की दाद चाही है, जो सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। न्यायालय आपको केवल विधिक औपचारिकता पूर्ण न करने अथवा अनियमितता कारित करने पर ही पट्टा अपास्त करने का अधिकार प्राप्त है, न कि निरस्त करने, ऐसी हालत में यह निगरानी किसी कदर न्यायालय आपके समायत योग्य न होने से काबिल सव्यय खारिज के है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि वर्ष 2017 में जारी पटटा भूखण्ड से पूर्व ही गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर पटटा सं 51/14.01.2007 जारीशुदा था। जिसकी निगरानी निगराकार सं 1 से 3 ने इसी न्यायालय के समक्ष पेश की जो प्रकरण संख्या 11/2021 से दर्ज होकर दिनांक 21.02.2023 को निर्णित हुई है, जिसमें गैर निगराकार 1 के पक्ष में जारीशुदा पटटे को खारिज किया गया है। गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त वादग्रस्त जायदाद का पुनः पट्टा दिनांक 13.04.2017 को जारी करवाया लिया, जबकि पूर्व में जारीशुदा पटटे निगरानी जैरकार थी। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 ने विधि विरूद्व तरीके से एक ही भूखण्ड पर दो पटटे अलग–अलग तारीखों में विपक्षी संख्या 01 के नाम जारी कर दिये गये जो राजस्थान पंचायती राज

16.10.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिनियम के नियमों के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहरते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से पत्रावली संख्या 31 से पटटा संख्या 4239 दिनांक 13.04.2017 का जारी किया गया वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पटटे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत होडा पंचायत समिति माण्डलगढ द्वारा पत्रावली संख्या 31 से जारी पटटा संख्या 4239 दिनांक 13.04.2017 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत होडा पंचायत समिति माण्डलगढ को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.10.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा